

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 76

भूमि संसाधन विभाग

क. वस्तुओं को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | संशोधित 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | |
|---|--------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| राजस्व | 2498.04 | 8.37 | 2506.41 | 1627.77 | 9.73 | 1637.50 | 1570.00 | 8.32 | 1578.32 | 1700.00 | 9.36 | 1709.36 |
| पूँजी | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़ | 2498.04 | 8.37 | 2506.41 | 1627.77 | 9.73 | 1637.50 | 1570.00 | 8.32 | 1578.32 | 1700.00 | 9.36 | 1709.36 |
| ब.अ. 2016-2017 | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय आर्थिक सेवा | 3451 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.36 | 9.36 |
| 2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलसंभर विकास घटक), पूर्ववर्ती जलसंभर प्रबंध कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 कार्यक्रम घटक | 2501 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23.25 | ... | 23.25 |
| | 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 150.00 | ... | 150.00 |
| | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1321.75 | ... | 1321.75 |
| जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1495.00 | ... | 1495.00 |
| 2.02 ईएपी घटक | 2501 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10.00 | ... | 10.00 |
| | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45.00 | ... | 45.00 |
| जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 55.00 | ... | 55.00 |
| जोड़- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलसंभर विकास घटक), पूर्ववर्ती जलसंभर प्रबंध कार्यक्रम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1550.00 | ... | 1550.00 |
| 3. डिजिटल भारत : पूर्ववर्ती एनएलआरएलपी भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (केंद्रीय क्षेत्र) | 2506 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22.90 | ... | 22.90 |
| | 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15.00 | ... | 15.00 |
| | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 111.10 | ... | 111.10 |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 |
| जोड़ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 150.00 | ... | 150.00 |
| सं.अ. 2015-2016 | | | | | | | | | | | | |
| 4. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 3451 | ... | 8.37 | 8.37 | ... | 9.73 | 9.73 | ... | 8.32 | 8.32 | ... | ... |

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2014-2015 | | | बजट 2015-2016 | | | संशोधित 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | |
| बंजर भूमि विकास | | | | | | | | | | | | | |
| 5. पूर्ववर्ती जलसंभर प्रबंध कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलसंभर घटक) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 कार्यक्रम घटक | 2501 | 3.72 | ... | 3.72 | 30.00 | ... | 30.00 | 30.00 | ... | 30.00 | ... | ... | |
| | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| जोड़ | | 3.72 | ... | 3.72 | 30.00 | ... | 30.00 | 30.00 | ... | 30.00 | ... | ... | |
| 5.02 ईएपी संघटक | 2501 | 2.34 | ... | 2.34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| जोड़- पूर्ववर्ती जलसंभर प्रबंध कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलसंभर घटक) | | 6.06 | ... | 6.06 | 30.00 | ... | 30.00 | 30.00 | ... | 30.00 | ... | ... | |
| भूमि सुधार | | | | | | | | | | | | | |
| 6. राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम | 2506 | 0.76 | ... | 0.76 | 20.00 | ... | 20.00 | 5.42 | ... | 5.42 | ... | ... | |
| | 3601 | 178.53 | ... | 178.53 | 65.49 | ... | 65.49 | 30.57 | ... | 30.57 | ... | ... | |
| | 3602 | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | |
| जोड़ | | 179.29 | ... | 179.29 | 90.49 | ... | 90.49 | 36.00 | ... | 36.00 | ... | ... | |
| जोड़-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | | 185.35 | ... | 185.35 | 120.49 | ... | 120.49 | 66.00 | ... | 66.00 | ... | ... | |
| राज्य आयोजना स्कीमें | | | | | | | | | | | | | |
| 7. पूर्ववर्ती समेकित जलसंभर प्रबंध कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलसंभर घटक) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम लाभार्थ परियोजना/योजनाओं के लिए प्रावधान | 2552 | ... | ... | ... | 150.00 | ... | 150.00 | 150.00 | ... | 150.00 | ... | ... | |
| 7.02 कार्यक्रम संघटक-राज्य आयोजना | 3601 | 2312.69 | ... | 2312.69 | 1350.00 | ... | 1350.00 | 1350.00 | ... | 1350.00 | ... | ... | |
| 7.03 ईएपी | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| जोड़ | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| जोड़- पूर्ववर्ती समेकित जलसंभर प्रबंध कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलसंभर घटक) | | 2312.69 | ... | 2312.69 | 1500.00 | ... | 1500.00 | 1500.00 | ... | 1500.00 | ... | ... | |
| 8. राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | |
| 8.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र | 2552 | ... | ... | ... | 7.28 | ... | 7.28 | 4.00 | ... | 4.00 | ... | ... | |
| जोड़-राज्य आयोजना स्कीमें | | 2312.69 | ... | 2312.69 | 1507.28 | ... | 1507.28 | 1504.00 | ... | 1504.00 | ... | ... | |
| कुल जोड़ | | 2498.04 | 8.37 | 2506.41 | 1627.77 | 9.73 | 1637.50 | 1570.00 | 8.32 | 1578.32 | 1700.00 | 9.36 | 1709.36 |
| विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | |

| विकास शीर्ष | बजट सहायता | | | बजट सहायता | | | बजट सहायता | | | बजट सहायता | | | |
|---|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|-----|----------------|
| | आं. व. वा. सं. | जोड़ | जोड़ | आं. व. वा. सं. | जोड़ | जोड़ | आं. व. वा. सं. | जोड़ | जोड़ | आं. व. वा. सं. | जोड़ | | |
| ग. योजना परिव्यय | | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्रीय योजना: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 165.00 | ... | 165.00 |
| 2. विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 12501 | 6.06 | ... | 6.06 | 30.00 | ... | 30.00 | 30.00 | ... | 30.00 | 33.25 | ... | 33.25 |
| 3. भूमि सुधार | 12506 | 0.76 | ... | 0.76 | 20.00 | ... | 20.00 | 5.42 | ... | 5.42 | 22.90 | ... | 22.90 |
| जोड़ - केन्द्रीय योजना | | 6.82 | ... | 6.82 | 50.00 | ... | 50.00 | 35.42 | ... | 35.42 | 221.15 | ... | 221.15 |
| राज्य योजना: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 43601 | ... | ... | ... | 157.28 | ... | 157.28 | 154.00 | ... | 154.00 | ... | ... | ... |
| 2. विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 43601 | 2312.69 | ... | 2312.69 | 1350.00 | ... | 1350.00 | 1350.00 | ... | 1350.00 | 1366.75 | ... | 1366.75 |
| 3. भूमि सुधार | 43601 | 178.53 | ... | 178.53 | 65.49 | ... | 65.49 | 30.57 | ... | 30.57 | 111.10 | ... | 111.10 |
| जोड़ - राज्य योजना | | 2491.22 | ... | 2491.22 | 1572.77 | ... | 1572.77 | 1534.57 | ... | 1534.57 | 1477.85 | ... | 1477.85 |
| संघ राज्य क्षेत्र योजना : | | | | | | | | | | | | | |
| संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 43602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2. भूमि सुधार | 43602 | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 | 0.01 | ... | 0.01 | 1.00 | ... | 1.00 |
| जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना | | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 | 0.01 | ... | 0.01 | 1.00 | ... | 1.00 |
| जोड़ | | 2498.04 | ... | 2498.04 | 1627.77 | ... | 1627.77 | 1570.00 | ... | 1570.00 | 1700.00 | ... | 1700.00 |

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** इसमें भूमि संसाधन विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास घटक), पूर्व नाम एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी):** भूमि संसाधन विभाग वाटरशेड विकास परियोजना संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश, 2008 (संशोधित 2011) के अनुसार 2009-10 से एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। लागत मानदंड मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति हेक्टेयर 12,000 रु, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए प्रति हेक्टेयर 15,000 रु और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं के लिए प्रति हेक्टेयर 15,000 रु. तक है। आईडब्ल्यूएमपी कार्यक्रम में मृदा एवं जल संरक्षण, जल निकास लाइन निरूपण, वृक्षारोपण, बागवानी, चारागाह विकास आदि जैसे मूल वाटरशेड कार्यकलापों के अलावा राज्य, जिला, परियोजना और ग्राम स्तरों पर समर्पित संस्थाओं, उत्पादन प्रणालियों और लघु तथा सीमांतक किसानों के लिए सूक्ष्म उद्यमों तथा संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका कार्यकलापों के नए घटक समाविष्ट किए गए हैं। 2015-16 से आईडब्ल्यूएमपी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक बनाया गया है। पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक की वित्त पोषण व्यवस्था, पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड),

जिनके लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण की व्यवस्था 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60:40 रखी गई है।

सरकार ने 2142.30 करोड़ रु. (357 मिलियन अमरीकी डॉलर, 1 अमरीकी डॉलर = 60 रु.) के कुल परिव्यय के साथ विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय वाटरशेड प्रबंधन परियोजना 'नीरांचल' के कार्यान्वयन का अनुमोदन किया है।

3. **डिजिटल इंडिया - भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम:** भूमि सुधारों के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, अन्य के साथ-साथ, अधिकारों के अभिलेखों (आरओआर) के कंप्यूटरीकरण, मानचित्रों के डिजिटलीकरण, आधुनिक प्रौद्योगिकी से सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण, रजिस्ट्रीकरण के कंप्यूटरीकरण, संबंधित अधिकारियों और पदधारियों के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन, भूमि अभिलेखों और रजिस्ट्रेशन कार्यालयों को एक-दूसरे से जोड़ने तथा तहसील/ताल्लुक/सर्कल/ब्लॉक स्तर पर आधुनिक अभिलेख कक्षों और अभिलेख प्रबंधन केंद्रों की स्थापना के लिए डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है। डीआईएलआरएमपी के तहत किए जाने वाले कार्यक्रम जिले में एक ही जगह किए जाएंगे और जिला कार्यान्वयन की यूनिट होगा। इस कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य देश में वर्तमान परिकल्पित

स्वामित्वाधिकार प्रणाली के स्थान पर निश्चयक स्वामित्वाधिकार प्रणाली शुरू करना है। परियोजनाओं/प्रस्तावों को मंजूर करने के लिए कार्यक्रम के तहत एक राष्ट्रीय स्तरीय परियोजना/प्रस्ताव स्वीकृति एवं निगरानी समिति गठित की गई है।